

- 184

E-MHIL

मध्यप्रदेश शासन  
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय  
आदेश

भोपाल, दिनांक-24/02/2011

कमांक-एफ-24-2/2009/1-25 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19/06/2009 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित सेवारत शिक्षकों को उनके द्वारा वर्तमान में निर्धारित वेतनमान के अनुरूप पदनाम प्रदाय किये जाने एवं उन्हें स्थानांतरण से छूट की सुविधा प्रदान की गई थी।

2- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन की स्थानांतरण नीति से हटकर एवं भर्ती नियमों के अनुसार आदेश जारी नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग द्वारा उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण माने गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने आदेश दिनांक 27/03/2010 से पूर्व में जारी परिपत्र आदेश कमांक-एफ-1-100/2008/20-1 दिनांक 29/09/2008 को निरस्त किया गया है।

3- अतः राज्य शासन एतद् द्वारा राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित सेवारत शिक्षकों के संबंध में जारी विभागीय आदेश कमांक-एफ-24-2/2009/1-25 भोपाल, दिनांक 19/06/2009 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

*Beekwah*

(बी०एल० कुशवाह)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग  
भोपाल, दिनांक-24/02/2011

पृ०क०-एफ-24-2/09/1-25

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, म०प्र०, भोपाल।
  2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग, भोपाल।
  3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा, भोपाल।
  4. आयुक्त, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
  5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
  7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
  8. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
  9. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
  10. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश।
  11. समस्त परियोजना प्रशासक/सहा.परियोजना प्रशासक आ०जा०क० विभाग, म०प्र०।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*Beekwah*

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग

shiv

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्य प्रदेश

पृष्ठ. क्रमांक/समन्वय/डी/45/2009-2010/58 भोपाल,दिनांक 18 मार्च 2011  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर, इन्दौर, भोपाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी विधि प्रकोष्ठ ग्वालियर।
7. प्राचार्य, शासकीय तात्याटोपे शिक्षा महाविद्यालय, शिवपुरी।
8. योग विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र, 1464 टी.टी.नगर, भोपाल।
9. अधीक्षक वैद्यशाला उज्जैन मध्यप्रदेश।
10. मुख्य पुस्तकालय इन्दौर, भोपाल रीवा एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।
11. प्रादेशिक सचिव भारत स्कूट एवं गाइड एसोसिएशन भोपाल।
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश।
13. समस्त अधिकारी अधीक्षक, सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश